## सं-11012/12/2021-हिंदी /2 37-

भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग केंद्रीय जल आयोग हिंदी अनुभाग

> 906(द), सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली - 110 066 दिनांक ( जून, 2023

## परिपत्र

विषय: हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन जुलाई-नवंबर 2023 सत्र की ऑनलाइन-नियमित हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत की दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन एवं संचालन।

संदर्भ: गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर) के दिनांक 18.05.2022 के पत्र सं.3/8/2022/3.नि.(म.)/726 (प्रति संलग्न)

महोदय/महोदया

राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान/प्रवीणता प्राप्त करने के लिए हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), नई दिल्ली द्वारा हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, एवं पारंगत कक्षाओं के प्रशिक्षण का नया सत्र ज्लाई, 2023 से प्रारम्भ होगा।

- 2. अनुरोध है कि कृपया सभी संबंधित मुख्य अभियंता/ अनुभाग/निदेशालय, हिंदी भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष रहे अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपेक्षित प्रशिक्षण के लिए नामित करें और नामांकन प्रोफ़ार्मा (अनुलग्नक-1) तथा ज्ञान संबंधी सूचना (अनुलग्नक-2) भरकर दो प्रतियों में अनिवार्यतः दिनांक 21.06.2023 तक अपना आवेदन संबन्धित स्थापना अनुभाग के माध्यम से हिंदी अनुभाग को भेजने की कृपा करें। साथ ही अनुरोध है कि जिन अधिकारियों का नामांकन पिछले सत्र में दिया गया था और किसी कारणवश उक्त प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित नहीं हो सके, अथवा परीक्षा में नहीं बैठे हैं, उन अधिकारियों/कर्मचारियों का भी नामांकन किया जाए।
- 3. अनुरोध है कि पाठ्यक्रम से संबन्धित विस्तृत जानकारी हेतु गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर) दवारा जारी पत्र (प्रति संलग्न) देखें।

संलग्नक: यथोपरि।

M.

(रजिन्दर पॉल)

उप निरेशक (ग्रानभाषा)

- 1. सभी मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय), नई दिल्ली।
- 2. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
- 3. निदेशक (समन्वय), अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना/ नदी प्रबंध स्कंध, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
- 4. सभी निदेशक/ शाखा अधिकारी/ लेखा अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

## प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव, नई दिल्ली।
- 2. सदस्य, अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना/ नदी प्रबंध स्कंध के प्रधान निजी सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
- 3. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव, नई दिल्ली।
- 4. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली

## <u>नामांकन प्रपत्र</u>

क्र.	नामित	अधिकारी/	पदनाम	मातृभाषा	पाठ्यक्रम	सुविधाजनक	कार्यालय का	कर्मचारियों
सं.	कर्म	चारियों			जिसके लिए	प्रशिक्षण केंद्र	पता व फोन	की कुल
	का	नाम			नामित है		नंबर	संख्या
01								

स्था <sub>न</sub>	न :				
देनां	क				
	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर :			
	नामित करने वाले अधिकार	री:			
	(मोहर सहित)	:			
	अधिकारी का नाम और कार्यालय का पूरा पत	नाः			
	टेलीफोन नम्बर:				
	ई-मे	ਕ:			

<u>अनुलग्नक-1</u>

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान संबंधी सूचना				
Information in regard to Hindi knowledge of Central Government Employees				
01.	नाम / Name			
02.	पदनाम / Designation			
03.	किस पाठ्यक्रम में नामित किया जाना है	प्रबोध / प्रवीण / प्राज्ञा /		
	In which course to be enrolled?	पारंगत		
04.	कार्यालय का नाम/ Name of the Office:			
05.	दूरभाष /मोबाइल संख्या			
	Telephone/mobile Number			
06.	जन्म तिथि/ Date of Birth			
07.	मातृभाषा/ Mother Tongue			
.80	हिंदी में उत्तीर्ण उच्चतम परीक्षा			
	Highest Examination passed in Hindi			
09.	क्या मैट्रिक स्तर पर हिंदी मुख्य विषय के रूप में थी			
	Whether Hindi as a main subject at Matric level			
10.	क्या मैट्रिक स्तर पर हिंदी माध्यम थी			
	Whether Hindi was the medium at Matric level			
11.	क्या मेट्रिक स्तर पर हिंदी प्रथम/ द्वितीय/तृतीय भाषा के रूप में थी			
	Whether Hindi was 1 <sup>st</sup> / 2 <sup>nd</sup> /3 <sup>rd</sup> Language at Matric level			
12.	हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त/ प्रवीणता प्राप्त			
	working knowledge / proficiency in Hindi			

	सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर/
	Signature of the competent authority :
स्थान	
दिनांक:	नाम/Name:
	पदनाम/Designation:
	दुरभाष संख्या/Telephone No. :